b×10

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः–3649–औ0सं0/2016–15–ए0एस0/99 टी0सी0 दिनाँक : 08 सितम्बर, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,विद्युत
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषयः–उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा दिनांक 05.09.2016 से चलाये जा रहे चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 12.09.2016 से 15.09.2016 तक प्रदेश व्यापी हड़ताल एवं 16.09.2016 से जेल भरो कार्यक्रम किये जाने की नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में प्रभारी अपर जिलाधिकारी (नगर–पूर्वी), लखनऊ के पत्र सं0–3167/एसटी–एडीएम(सीई)/2016 दिनांक 30.08.2016 के साथ उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के नोटिस सं0–531/संघर्ष/2016 दिनांक 23.07.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) करते हुये आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की आकांक्षा की है।

अवगत कराना है कि उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन का कार्यक्रम निम्नवत् है :–

1. दिनांक 12.09.2016 से 15.09.2016 तक प्रदेश व्यापी हड़ताल।
2. दिनांक 16.09.2016 से जेल भरो कार्यक्रम।

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनयर संगठन भी महासंघ का एक घटक संगठन है तथा महासंघ के उक्त आवाहन पर प्रदेश व्यापी हड़ताल में शामिल हो सकता है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–5/2016/1094/24–पी– 2–16–1(121)/04 दिनांक 29.06.2016 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–2766–औ0सं0/2016–159–ए0/67 दिनाँक 04.07.2016 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा प्रस्तावित हड़ताल/आन्दोलन दिनांक 12.09.2016 से 15.09.2016 तक प्रदेश व्यापी हड़ताल एवं दिनांक 16.09.2016 से जेल भरो कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान अवर अभियन्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

यह भी अनुरोध है कि सम्भावित हड़ताल की अवधि में अवर अभियन्ताओं को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा प्रस्तावित आन्दोलन दिनांक 12.09.2016 से 15.09.2016 तक प्रदेश व्यापी हड़ताल एवं दिनांक 16.09.2016 से जेल भरो कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने हेतु अनुपस्थित होने वाले अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3–ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये।

S.PO

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों–मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:–3649–औ0सं0 / 2016, तद्‌दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
5. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. कारपोरेशन मुख्यालय / लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
9. कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

SPO

3650
8/9/16

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी(नगर पूर्वी),
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन,
लखनऊ।

पत्रांकः3167/एसटी–एडीएम(सीई)/16 दिनांकःअगस्त 30,2016

महोदय,

कृपया इं0 सुधीर पंवार, महासचिव, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पत्र दिनांक 23.7.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं का निराकरण न किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न तिथियों पर निम्नवत् संघर्ष कार्यकम किये जाने विषयक है:–

1–दिनांक 05,06 व 07 सितम्बर 2016 को लखनऊ मुख्यालय पर तीन दिवसीय कमिक अनशन कार्यकम।

2–दिनांक 12,13,14 व 15 सितम्बर 2016 को प्रदेश व्यापी हड़ताल।

3–दिनांक 15 सितम्बर 2016 को प्रदेश व्यापी रक्तदान कार्यकम द्वारा जनहित में सामाजिक रचनात्मक दायित्वों का निर्वहन।

4–दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक भी निर्णय न लिये जाने पर 16 सितम्बर 2016 से जेल भरो कार्यकम।

अतः इं0 सुधीर पंवार, महासचिव, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का पत्र दिनांक 23.07.216 इस आशय से प्रेषित है कि इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट, ताकि शान्ति–व्यवस्था सम्बन्धित कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

म०प्र० (औ० स०)

5480/MD/16
dt. 31/8/16

SPO
कृ० तुरन्त चर्चा
8.9.16

भवदीय,

29/08/16

(जय शंकर दूबे)
प्र. अपर जिलाधिकारी(नगर–पूर्वी),
लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक(नगर–पूर्वी)।
- अपर नगर मैजिस्ट्रेट(प्रथम)।
- क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज।

अपर जिलाधिकारी(नगर–पूर्वी),
लखनऊ।

GM(IR) से चर्चा करें

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–8–ई.एम. / 2000–टी.सी.–का–4–2016
लखनऊ : दिनांक : 16 अगस्त, 2016

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की समस्याओं का निराकरण न किये जाने के संबंध में आन्दोलनात्मक कार्यवाही किये जाने विषयक, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का पत्रांक–531 / संघर्ष / 2016, दिनांक 23.07.2016 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

संलग्नकः–यथोपरि।

(राज शेखर)
जिला मैजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या–8–ई.एम. / 2000–टी.सी.(1)–का–4–2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या 167 /मु०सला०मु०मं० /2016

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1411/67-का-4-1668 दिनांक 23 अक्टूबर, 1668 द्वारा मान्यता प्राप्त

केन्द्रीय कार्यालय : राय भवन, 630-अलंकार सिनेमा रोड, लखनऊ ☎ 2621483

सम्बद्ध घटक संघ

सिविल डि० इंजी० संघ, सिंचाई विभाग, उ०प्र०
जू० इंजी० संगठन, राज्य विद्युत परिषद, उ०प्र०
डि० इंजी० संघ, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०
इले० एण्ड मैके० डि० इंजी० संघ, सिंचाई विभाग, उ०प्र०
डि० इंजी० संगठन, उ०प्र० जल निगम
डि० इंजी० संघ, लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र०
डि० इंजी० संघ, ग्रा० अभि० वि०, उ०प्र०
विद्युत सुरक्षा निदेशालय, डि० इंजी० संघ, उ०प्र०
डि० इंजी० संघ, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०
डि० इंजी० एसोसिएशन, आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र०
उ०प्र० स्थानीय निकाय, डि० इंजी० संघ
डि० इंजी० संघ, कृषि विभाग, उ०प्र०
डि० इंजी० संघ, भूमि विकास एवं जल संसाधन
डि० इंजी० संघ, उ०प्र० रा०नि० निगम लि०
सेतु निगम डि० इंजी० एसोसिएशन, उ०प्र०
उ०प्र० विकास प्राधिकरण, डि० इंजी० संघ
डि० इंजी० संघ, उ०प्र० समाज कल्याण नि० नि० लि०
डि० इंजी० संघ, यू०पी०एस०आई०डी०सी०
उ०प्र० हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग डि० इंजी० संघ
डि० इंजी० वेलफेयर एसोसिएशन, आई०टी०आई०, उ०प्र०
उ०प्र० जिला पंचायत अभियंत्रण संघ
यू०पी० प्रोजेक्ट का० लि०, डि० इंजी० एसो०
तकनीकी सेवा संघ परिवहन विभाग, उ०प्र०

मो0– 09412712712

सरकार/शासन की वादाखिलाफी के कारण डिप्लोमा इंजीनियर्स पुनः हड़ताल को विवश

–: संघर्ष नोटिस :–

पत्रांक :– 531/संघर्ष/2016, दिनांक :– 23 जुलाई, 2016

प्रेषक,

इं0 सुधीर पंवार,
महासचिव।

सेवा में,

श्रीयुत अखिलेश यादव जी,
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार।

(आलोक रंजन) मुख्य सलाहकार, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :– डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं का निराकरण न किया जाना।

संदर्भ :–(1) महासंघ का अनिश्चित कालीन हड़ताल का संघर्ष नोटिस संख्या 328/संघर्ष/2016, दिना 01 मार्च, 2016

(2) अनेकों ध्यानाकर्षण कार्यक्रमों के पश्चात भी समस्याओं का समाधान न होने के कार डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा की गयी हड़ताल।

(3) मा0 मंत्री गण, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ सम्पन्न अनेक बैठकों में सुस्प समयबद्ध निर्णय के दिये गये आश्वासन पर विश्वास व्यक्त कर अनिश्चित कालीन हड़त स्थगन की सूचना पत्रांक 340/सघर्ष/16, दिनांक 05 मार्च, 2016

(4) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन का कार्यालय ज्ञाप संख्या 8–ई.एम./2000–का–4– 20 दिनांक 03 मार्च, 2016

(5) महासंघ का संघर्ष नोटिस संख्या 484/संघर्ष/2016, दिनांक 15 जून, 2016 के क्रम दिनांक 23 जून 2016 को "गांधी प्रतिमा" पर धरने के माध्यम से प्रान्तीय पदाधिकारियों द्व किया गया ध्यानाकर्षण कार्यक्रम।

(6) उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासघ द्वारा शासन/सरकार के सक्षम स्तरों पर आश्वास की पूर्ति हेतु लगातार वार्ता, भेंट वार्तायें एवं पत्राचार।

आदरणीय महोदय,

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ संवर्ग की न्यायोचित माँगों प्रारम्भिक ग्रेड रू0 4200 से रू0 4800 करने व पदोन्नत वेतनमान प्रदान करने के समाधान हेतु वर्षों से संघर्षरत प्रदेश के समस्त तकनीकी विभागों के डिप्लोमा इंजीनियर्स प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अध्यक्षता में गठित शासन की उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुरूप जूनियर इंजीनियर

के कारण विवश होकर दिनांक 02 मार्च 2016 से हड़ताल पर चले गये थे। हड़ताल के प्रथम दिन से ह उत्पन्न स्थिति एवं शत–प्रतिशत सफल हड़ताल संवर्ग में व्याप्त असंतोष एवं आक्रोश का स्पष्ट दर्पण रहा। शासन/सरकार के सक्षम स्तरों पर गम्भीरतापूर्वक बातचीत करने एवं तीन सप्ताह में संवर्ग की प्रमुख दो माँगों पर सकारात्मक व धनात्मक निर्णय करने के आश्वासन बार–बार प्रत्येक स्तर से यथ प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव सिंचाई व प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, मुख्य सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई व लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 सरकार, मुख्य सचिव के माध्यम से आपकी आश्वासनयुक्त अपील पर पूर्ण विश्वास एवं सम्मान कर तत्काल हड़ताल स्थगित कर दी गयी थी।

महोदय,

आपके आश्वासन के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 8–ई.एम /2000–का–4 –2016, दिनांक 03 मार्च, 2016 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरी समिति का गठन कर तीन सप्ताह में संस्तुति माँगी गयी, जिससे संवर्ग में विश्वास जागृत हुआ कि इ बार अवश्य ही आपके हस्तक्षेप से न्याय प्रदान होगा। किन्तु तीन सप्ताह की अवधि के स्थान पर लगभ 4 माह से अधिक व्यतीत हो गये तथा प्रत्येक स्तर पर कई–कई बार वार्ताओं, भेंट वार्ताओं व पत्राचार व माध्यम से अनुरोध पर भी स्थिति यथावत् बनी हुई है। इससे न केवल शासन की विश्वसनीयता को क्ष पहुँचती है, बल्कि मुख्य सचिव के माध्यम से आपकी व माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग तथा लो निर्माण विभाग के आश्वासनयुक्त अपील की छवि भी प्रभावित होती प्रतीत हो रही है, यही असन्तो प्रदेश में बड़े आन्दोलन का कारक भी बनता है।

महोदय,

न्यायोचित माँगों पर दिये गये आश्वासन के अनुरूप कोई कार्यवाही परिलक्षित न होने प उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपने संघर्ष नोटिस संख्या 484/संघर्ष/2016, दिनांक 15 जू 2016 के क्रम में सरकार/शासन को अपने आश्वासन/अपील का स्मरण कराने हेतु दिनांक 23 जु 2016 को महासंघ के समस्त घटक संघों के पदाधिकारियों द्वारा गांधी प्रतिमा पर एक दिवसी धरना/ध्यानाकर्षण/"वादा निभाओं कार्यक्रम करते हुए आपको ज्ञापन प्रेषण किया गया, परन्तु डिप्लो इंजीनियर्स की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिसके कारण दिनांक 22 जुलाई, 2016 व सम्पन्न महासंघ की कार्यकारिणी सभा में समग्र परिस्थितियों का आकलन व विचार करते हुए विव होकर स्थगित आन्दोलन को पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है तथा उक्त निर्णय से आप सहि समस्त सक्षम को अवगत कराने एवं समय रहते समाधान का अनुरोध करने हेतु मुझे निर्देशित किया कार्यकारिणी सभा में लिये गये निर्णय के क्रम में संघर्ष कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

–: संघर्ष कार्यक्रम :–

(1) दिनाक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2016 तक प्रदेश के सभी मण्डलों में मण्डल स्तरीय सम्मेलन मण्डलायुक्त के माध्यम से ज्ञापन प्रेषण।

(2) दिनांक 29, 30 व 31 अगस्त 2016 को प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार कार्यक्रम।

(3) दिनांक 05, 06 व 07 सितम्बर 2016 को लखनऊ मुख्यालय पर तीन दिवसीय क्रमिक अन कार्यक्रम।

(4) दिनांक 12, 13, 14 व 15 सितम्बर 2016 को प्रदेश व्यापी हड़ताल।

(5) दिनांक 15 सितम्बर 2016 को प्रदेश व्यापी रक्तदान कार्यक्रम द्वारा जनहित में सामाजिक रचनात दायित्वों का निर्वहन।

दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक भी निर्णय न किये जाने पर 16 सितम्बर 2016

महोदय,

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की कार्यकारिणी सभा से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन संघर्ष नोटिस प्रेषित करते हुए, आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि प्रदेश में हमारे स्वाभाविक संरक्षक हे के नाते अपने आश्वासनों के अनुरूप डिप्लोमा इंजीनियर्स की दो प्रमुख माँगों प्रारम्भिक ग्रेड पे रू0 48 एवं प्रोन्नत वेतनमान प्रदान करने पर शासनादेश जारी कराने की कृपा करें। ताकि पुनः संघर्ष जै अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो तथा प्रदेश के 24000 हजार डिप्लोमा अभियन्ता आपके कुशल दिशा निर्दे में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से कर सकें। अन्यथा की स्थिति में प्रभावित होने व विकास कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार/शासन पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

त्वरित न्याय की प्रत्याशा में, अत्यन्त आदर सहित,

भवदीय

(इं0 सुधीर पंवार)
महासचिव

पत्रांक :– 531/संघर्ष/2016, दिनांक :– 23 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. श्रीयुत शिवपाल सिंह यादव जी, मा0 मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधान विभाग, लोक निर्माण वि सहकारिता, बाढ़ नियंत्रण, राजस्व, लोक सेवा प्रबन्धन, उ0प्र0 सरकार को महासंघ के प्रतिनिधि म से हुई वार्ता में हड़ताल स्थगित करने की अपील एवं समस्याओं का निराकरण कराने के आश्वा पर प्रभावी कार्यवाही के अनुरोध सहित प्रेषित।
3. माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार को समय–समय पर किये गये ध्यानाकर्षण कार्यक्रमों के में समस्याओं के समाधान में प्रभावी कार्यवाही के अनुरोध सहित।
4. श्रीयुत आलोक रंजन जी, मुख्य सलाहाकार मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
5. श्रीयुत दीपक सिंघल जी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, सूचना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव समस्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 ट्रांसमिशन कार्पोशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम।
13. समस्त विभागाध्यक्ष सम्बन्धित विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
15. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
16. अध्यक्ष/महासचिव, अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, नई दिल्ली।
17. अध्यक्ष/महासचिव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0।
18. अध्यक्ष/महासचिव/महामंत्री, समस्त सम्बद्ध घटक संघ, उ0प्र0 डिप्लोमा इंजी0 महासंघ।
19. समस्त पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यकारिणी, उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ।
20. समस्त सदस्य द्वारा अध्यक्ष/सचिव, शाखा/जनपद/मण्डल, उ0प्र0 डिप्लामा इंजी0 महासंघ।